(राजस्व वाद संख्या – 305/2019 अनवान अनिल कुमार बनाम पालाराम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अवि गर्ग आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 305/2019

1 अनिल कुमार पुत्र श्री पोलाराम जाति नाई साकिन निहालपुरा हाल हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 पोलाराम पुत्र श्री काशीराम जाति नाई साकिन निहालपुरा हाल हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2 मेना पत्नी पोलाराम पुत्र श्री काशीराम जाति नाई साकिन निहालपुरा हाल हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3 पुष्पा पुत्री पोलाराम पत्नी श्री नरेन्द्र जाति नाई साकिन वार्ड नम्बर 7 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4 सोमा पुत्री पोलाराम पत्नी सन्दीप कुमार जाति नाई साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अर्जुनसिंह नरूका अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री जगजीतसिंह रमाणा अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 29.07.2019

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है, प्रतिवादी संख्या 2 मिन वादी की माता है, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 मिन वादी की सगी बहनें है। वादी के पिता यानि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है, वादी व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार से सम्बध रखते हैं, जो हिन्दू उतराधिकार विधि के मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है।

प्रतिवादी संख्या 1 के पीलीबंगा तहसील के चक 6 एन.एस.डब्ल्यु. के खाता संख्या 56/52 के पत्थर नम्बर 36/333 के किला नम्बर 21/2/.228, 22/2/.228, 23/2/.228, 24/2/.228, 25/2/.228, की 1.140 हैक्टर, अनकमाण्ड व पत्थर नम्बर 37/333 के किला नम्बर 1 ता 20, 21/2/228, 22/2/228, 23/2/.228, 24/2/228, 25/2/28 की 6.200 हैक्टर, अनकमाण्ड इस प्रकार दोनो पत्थरों की 7.34 हैक्टर, अनकमाण्ड राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है व इसी चक के खाता संख्या 55/51 के पत्थर नम्बर 36/333 के किला नम्बर 1 ता 20 की 5.060 हैक्टर कनाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि में भी प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा में 1/2 हिस्सा का हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है, जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में वर्णित उपरोक्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस में घरा घरू तौर पर अर्सा दराज पूर्व से बंटवारा कर रखा है, उक्त बंटवारे अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्णित दोनो खातो की कृषि भूमि बटवारा अनुसार मिन वादीगण को 1/2 हिस्सा मन वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुआ है, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को उनका हक व हिस्सा दान दहेज व नगद सम्पत्ति के रूप में पूर्व में दिया जा चुका है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 नें अपना पैतृक कृषि भूमि के हिस्से के रूप मे तहसील संगरिया के 1 एस.टी.पी. में प्राप्त कर लिया है। मिन वादी अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। तथा अपने को प्राप्त हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम व हिस्सा कलमजन करवाने का अधिकारी है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर पीलीबंगा

Scanned by CamScanner

वादी वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है, व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने व रकम राज अलग करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कब्जा काश्त अनुसार कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने का कहा तो वे कई दिन टालमटोल करते रहे लेकिन आज से तीन दिन पूर्व ऐसा करने से सपष्ट इन्कार हो गए। बस यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि :–

(क) कि वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा वाद पत्र की दफा 4 अनुसार करवाने का अधिकारी है व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने व रकमराज अलग करवाने के अधिकारी हैं, तथा वादीगण को प्राप्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम व हिस्सा कलमजन करवाने का अधिकारी है।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे ।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय दिलाया जाना उचित समझे दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 29.07.2019 को उभयपक्ष स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री अर्जुनसिंह नरूका अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री जगजीतसिंह रमाणा अधिवक्ता द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि वादी/प्रथम पक्ष प्रतिवादी संख्या 1/द्वितीय पक्ष के पुत्र है, प्रतिवादी संख्या 2/द्वितीय पक्ष मिन वादी/प्रथम पक्ष कि माता है, प्रतिवादी संख्या 3/द्वितीय पक्ष व 4 मिन वादी/प्रथम पक्ष की सगी बहनें है। वादी के पिता यानि प्रतिवादी संख्या 1/द्वितीय पक्ष के नाम वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है, वादी/प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण/द्वितीय पक्ष एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार से सम्बध रखते है, जो हिन्दू उतराधिकार विधि के मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है।

प्रतिवादी संख्या 1/द्वितीय पक्ष के पीलीबंगा तहसील के चक 6 एन.एस.डब्ल्यु. के खाता संख्या 56/52 के पत्थर नम्बर 36/333 के किला नम्बर 21/2/.228, 22/2/. 228, 23/2/.228, 24/2/.228, 25/2/.228, की 1.140 हैक्टर, अनकमाण्ड व पत्थर नम्बर 37/333 के किला नम्बर 1 ता 20, 21/2/228, 22/2/228, 23/2/228, 24/2./228, 25/2/28 की 6.200 हैक्टर, अनकमाण्ड इस प्रकार दोनो पत्थरों की 7.34 हैक्टर, अनकमाण्ड राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा में 1/2 हिस्सा का हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है। व इसी चक के खाता संख्या 55/51 के पत्थर नम्बर 36/333 के किला नम्बर 1 ता 20 की 5.060 हैक्टर, कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि में भी प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा में 1/2 हिस्सा का हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है, जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ पेश की गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में वर्णित उपरोक्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में घरा घरू तौर पर अर्सा दराज पूर्व से बंटवारा कर रखा है, उक्त बंटवारे अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 6 एन.एस.डब्ल्यु. में वर्णित दोनो खातो की कृषि भूमि बंटवारा अनुसार 1/2 हिस्सा मिन वादी अनिल कुमार पुत्र पोलाराम व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 मैनादेवी पत्नी पोलाराम को प्राप्त हुआ है, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को

लगातार 3

उनका हक व हिस्सा दाप दहेज व नगद सम्पत्ति के रूप में दिया जा चुका है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 नें अपना पैतृक कृषि भूमि के हिस्से के रूप में तहसील संगरिया के चक 1 एस.टी. पी में प्राप्त कर लिया है। मिन वादी अपनें हक व हिस्से की कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करनें का अधिकारी है। तथा चक 6 एन.एस.डब्ल्यू. में वर्णित तमाम कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम व हिस्सा कलमजन करवाने का अधिकारी है।

अतः राजीनामा वादीगण/प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण/द्वितीय पक्ष की और से पेश कर निवेदन है, उक्त राजीनामा दोनो पक्षो ने बिना किसी दवाब बहकाव बिना किसी नशे पते के अपनी स्वतन्त्र ईच्छा से लिखवा दिया है, इसलिये वाद पत्र राजीनामा अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा साकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है वह जद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक 6 एन.एस.डब्ल्यु. के खाता संख्या 56/52 के पत्थर नम्बर 36/333, 37/333 दोनो पत्थरों की कुल 7.340 हैक्टर, अनकमाण्ड राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 पोलाराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर पीलीबंगा

Scanned by CamScanner

काशीराम का 1/3 हिस्सा में 1/2 हिस्सा का हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है। व इसी चक के खाता संख्या 55/51 के पत्थर नम्बर 36/333 के किला नम्बर 1 ता 20 की 5.060 हैक्टर, कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि में भी प्रतिवादी संख्या 1 पोलाराम पुत्र काशीराम का 1/3 हिस्सा में 1/2 हिस्सा का हक व हिस्सा दर्ज रिकार्ड है, का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर उसके पुत्र वादी संख्या 1 अनिल पुत्र पोलाराम व पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 मैनादेवी पत्नी पोलाराम जाति नाई साकिन निहालपुरा हाल हरिपुरा तहसील संगरिया को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि रामस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिंग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/रास्ता/खाला) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Scanned by CamScanner